न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 38/2022 बउनवानी मनीष कुमार बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार बौंली
पुत्र श्री केलाश चन्द जांगिड निवासी जाटो की ढाणी, कोटडा बोरदा, तहसील बौंली

GCMS No-2022/68 **On line N0- 32159137699104**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28.4.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 25.2.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

जमाबन्दी प्रतिलिपि ग्राम कोटडा–बोरदा–मित्रपुरा खाता संख्या नया 4 पुराना 10 सम्वत् 2069–2072 से संबंधित निम्नांकित सूचना उपलब्ध करवायी जावे।

1. उपरोक्त खाते मे क्या मांगीलाल, गणेश पुत्र राधेश्याम, प्रेम देवी ने अपने हिस्से की जमीन किसी को बेच दी है।
2. अगर मांगीलाल,गणेश पुत्र राधेश्याम, प्रेम देवी ने अपने हिस्से की जमीन किसी व्यक्ति को बेच दिया है ओर किसी कारणवश केता का नाम इस जमाबन्दी में दर्ज नही है ओर केता ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है तो उस रजिस्ट्री का विवरण देने का कष्ट करे एवं उस रजिस्ट्री की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली के कार्यालय से सूचना का संबंध नही होने के कारण तहसीलदार मित्रपुरा को अन्तरित किया गया। तहसीलदार मित्रपुरा द्वारा जरिये पत्रांक /रीडर/2022/192 दिनांक 19.4.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने एवं पंजीबद्व दस्तावेज पर प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र दिनांक 12.10.2018 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधान लागू नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 191 दिनांक 19.4.2022 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 25.2.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना प्रश्नात्मक होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा क्रमांक दिनांक अंकित नही होने एवं वांछित सूचना पंजीबद्व दस्तावेज से संबंधित होने के कारण परिपत्र दिनांक 12.10.2018 के निर्देशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के प्रावधान लागू नही होने के कारण सू[illegible] है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपीलान्ट चाहे तो [illegible] कार्यालय मे वांछित रिकार्ड/जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन कर वां[illegible] नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। पत्रावली [illegible] से कम हो एवं बा[illegible]मील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खु[illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:20:17 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर